कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-14.04.2024

विषय:- थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चेन/मोबाईल स्नैचर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमँचा 12 बोर, 02 अदद कारतूस, 1530/- रु0 नगद व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-137/2024 धारा 356,411 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- शिवकुमार बिन्द पुत्र छेदी बिन्द निवासी खरगसेनपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर व 02- विजय कुमार पुत्र बबलू सरोज निवासी मरही थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को दिनांक-13.04.2024 को समय करीब 23.30 बजे लक्ष्मी माता मन्दिर थाना सारनाथ वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमँचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 1530/- रु0 नगद तथा घटना मे प्रयुक्त वाहन 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-143/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-09.04.2024 को मुकदमा वादी श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र रमाशंकर शर्मा निवासी ग्राम व पो0 नौरसिया थाना तरवा जिला आजमगढ़ हालपता लेढ़ुपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक-21.03.2024 को शाम के समय उनकी पत्नी मंजू शर्मा हनुमान मन्दिर के पास लेढ़ुपुर मे सब्जी ले रही थी तभी दो बाइक सवार व्यक्ति पीछे से झपट्टा मारकर उनकी चेन छीन कर भाग गये, जिसके आधार पर थाना सारनाथ मे मु0अ0सं0-137/2024 धारा 356 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव द्वारा संपादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण शिवकुमार बिन्द व विजय कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक-21.03.2024 को समय शाम लगभग 06.30 बजे लेढ़ुपुर हनुमान मन्दिर के पास सब्जी ले रही एक महिला से हम लोग चेन छीनकर भाग गए थे और चलते राहगीर से जल्दी बाजी मे उस सोने की चेन को हमने 13000/-रु0 मे बेंच दिया था। चेन बेचने से मिले पैसे हमने खाने-पीने व अन्य चीजों मे खर्च कर दिये, जिसमे से अब हमारे पास कुल 1530/-रु0 ही बचे है। आज हम लोगो को कुछ और रुपयों की आवश्यकता थी तो हम लोग लक्ष्मी माता मन्दिर पर चेन व मोबाइल छीनने के लिए खडे थे कि आप लोगो ने हमे पकड लिया। हम लोग इसी मोटर साइकिल का प्रयोग चेन व मोबाइल छीनकर भागने मे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01- शिवकुमार बिन्द पुत्र छेदी बिन्द निवासी खरगसेनपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर, उम्र करीब 21 वर्ष।

02- विजय कुमार पुत्र बबलू सरोज निवासी मरही थाना जलालपुर जनपद जौनपुर, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद नाजायज देशी तमँचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 1530/- रु0 नगद तथा घटना मे प्रयुक्त वाहन 01 अदद मोटर साइकिल सुपर स्प्लेंडर वाहन सं0 UP 62 CR9752 बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
02. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
03. हे0का0 विनोद कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
04. हे0का0 अरविन्द कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
05. का0 अंकित कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी